उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 H06814/C-2/NGT-07/2024
Ref. No

दिनॉक 10-2-2024
Date

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.
E-mail - judicial-ngt@gov.in

Subject: Submission of Action Taken Report in compliance of directions issued by Hon'ble NGT vide order dated 04.12.2023 in Original Application No. 341/2022 Deepak Awasthi Vs State of U.P.

Sir,

In compliance of Hon'ble NGT order dated 04.12.2023 in Original Application No. 341/2022 Deepak Awasthi Vs State of U.P., the action taken report of UPPCB is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Yours faithfully,

Encl: As above.

Sk
(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

Action Taken Report pursuant to the order dated 04.12.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in the matter of O.A. No. 341/2022 Deepak Awasthi Vs. State of Uttar Pradesh.

1. That Hon'ble NGT, New Delhi has passed the order dated 04.12.2023 in O.A. No.- 341/2022 Deepak Awasthi Vs. State of Uttar Pradesh. The operative part of the order is reproduced as below :

"...3. The committee had filed the report on 10.08.2022 and Tribunal had duly considered the said report in the proceedings dated 28.08.2023.

4. Thereafter, Kanpur Nagar Nigam has filed the response to the joint committee report. Perusal of the said response, reveals that much is desired in the direction of drainage, sewage treatment as also illegal encroachment.

5. A plea has been raised by the Counsel appearing for the Kanpur Nagar Nigam that the matter relating to the encroachment action needs to be taken by Kanpur Development Authority and Irrigation Department.

6. The report reveals that the flood plain zone of river Ganga in the area concerned has not been notified and full particulars relating to the drains flowing towards the aforesaid four ghats, their tapping and treatment of sewage from those drains have also not been disclosed.

7. The report does not reflect upon the extent of illegal encroachment which was the main grievance raised in this original application. In respect of Rani ghat, it is stated that the construction of drain of size 0.6m x 0.75m from Bari ghat to Rani ghat pumping station was in progress and targeted to be completed by 30.11.2023. Similarly, in respect of Rameshwar ghat, it is stated that construction of 45.00 m

drain at Rameshwar ghat is under progress and will be completed before 30.11.2023. Completion date is over but Counsel appearing for Nagar Nigam does not have any instructions if the work has been completed as per schedule.

8. In the aforesaid background, the Counsel appearing for Kanpur Nagar Nigam has prayed for four weeks time to file a comprehensive report with all the relevant particulars.

9. At this stage, we deem it proper to implead the following as respondent in the matter:-

- *i. Regional Officer, MoEF &CC, Lucknow;*
- *ii. Director, National Mission for Clean Ganga;*
- *iii. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board;*
- *iv. Member Secretary, Central Pollution Control Board;*
- *v. Vice-Chairman, Kanpur Development Authority;*
- *vi. Commissioner, Municipal Corporation, Kanpur;*
- *vii. ACS/PS, Irrigation Department State of UP;*
- *viii. ACS/PS, Urban Development Department, State of UP;*
- *ix. District Magistrate, Kanpur;*

10. Let notice be issued to the above respondents for taking appropriate action in respect of the grievance raised in the original application and filing the action taken report before the Tribunal.

11. Let the action taken report be filed on or before the next date of hearing.

12. List the matter on 13.02.2024."

2. That it is submitted that the site inspection of Ranighat and Rameshwar Ghat which is associated with Parmiya Drain was done by the officials of Regional Office, UPPCB, Kanpur Nagar on 30.01.2024. During

inspection, it was found that the bioremediation is not being done at Ranighat Drain & Parmiya Drain and untreated sewage water is discharged into Ganga river through these drains. The copy of inspection report is enclosed herewith and marked as **Annexure No-1.**

3. That it is submitted that Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Kanpur Nagar has sent letter dated 31.01.2024 to Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Kanpur to immediately start the bio-remediation at the Ranighat Drain and Parmiya Drain. The copy of letter dated 31.01.2024 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-2**

4. That it is submitted that U.P. Pollution Control Board has issued show cause notices to Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Kanpur vide letter dated 10.02.2024, for imposition of Environmental Compensation for discharging untreated sewage into river Ganga through Ranighat Drain and Parmiya Drain. The copies of show cause notices are enclosed herewith and marked as **Annexure No.-3**

The action taken report of the UPPCB is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Lucknow

Dated : 10.02.2024

Yours' Sincerely

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

Annexure No-1

<u>माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 341/2022 दीपक अवस्थी बनाम इस्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 की अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–341/2022 दीपक अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में आख्या दाखिल की जानी है, के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.01.2024 को उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में रानीघाट व रामेश्वर घाट का निरीक्षण किया गया। आख्या निम्नवत् है :–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–341/2022 दीपक अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं–	**अद्यतन यथास्थिति**
........"4. Thereafter, Kanpur Nagar Nigam has filed the response to the joint committee report. Perusal of the said response, reveals that much is desired in the direction of drainage, sewage treatment as also illegal encroachment. *5. A plea has been raised by the Counsel appearing for the Kanpur Nagar Nigam that the matter relating to the encroachment action needs to be taken by Kanpur Development Authority and Irrigation Department.* *6. The report reveals that the flood plain zone of river Ganga in the area concerned has not been notified and full particulars relating to the drains flowing towards the aforesaid four ghats, their tapping and treatment of sewage from those drains have also not been disclosed.* *7. The report does not reflect upon the extent of illegal encroachment which was the main grievance raised in this original application. In respect of Rani ghat, it is stated that the construction of drain of size 0.6m x 0.75m from Bari ghat to Rani ghat pumping station was in progress and targeted to be completed by 30.11.2023. Similarly, in respect of Rameshwar ghat, it is stated that construction of 45.00 m drain at Rameshwar ghat is under progress and will be completed before 30.11.2023. Completion date is over but Counsel appearing for Nagar Nigam does not have any instructions if the work has been completed as per schedule.* *8. In the aforesaid background, the Counsel appearing for Kanpur Nagar Nigam has prayed for four weeks time to file a comprehensive report with all the relevant particulars.* *11. Let the action taken report be filed on or before the next date of hearing.* *12. List the matter on 13.02.2024.".............*	1. बिन्दु संख्या 04 से बिन्दु संख्या 07 तक के अनुक्रम में कार्यालय अभिलेखानुसार क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 1351/सा–227/24 दिनांक 27.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा ओ0ए0 संख्या–341/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में सम्बन्धित विभागों द्वारा कृत कार्यवाहियों हेतु उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर, नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम, कानपुर नगर व अधिशाषी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड–2, सिंचाई विभाग, कानपुर नगर को पत्र प्रेषित किया गया। कृत कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित है। 2. बिन्दु संख्या 07 में वर्णित तथ्यों के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.01.2024 को रानीघाट व रामेश्वर घाट (जोकि परमिया नाले से सम्बद्ध है) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय रानीघाट नाले में डोजिंग प्लास्टिक टैंक स्थापित पाया गया, परन्तु उक्त टैंक में जैविक उपचार (बायोरेमिडियेशन) किये जाने हेतु कोई भी रसायन नहीं पाये गये। साथ ही रामेश्वर घाट नाले से सम्बद्ध परमिया नाले पर जैविक उपचार किये जाने हेतु व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। रानीघाट से बारीघाट (सन्निकट मिश्रनघाट) के मध्य लगभग 20 मीटर नाला का निर्माण कार्य शेष पाया गया। स्थलीय जी0पी0एस0 फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैं:– 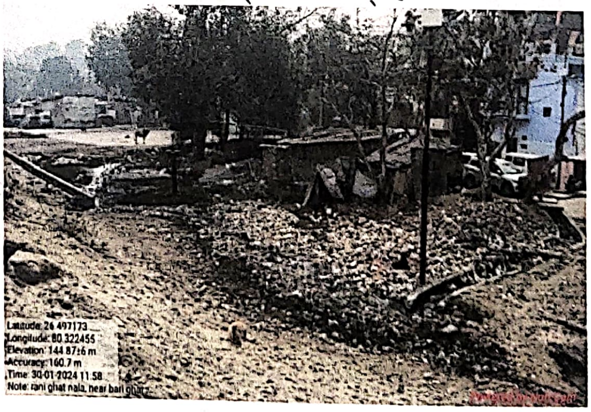

Scanned with OKEN Scanner

रामेश्वरघाट के निकट स्थित 45 मीटर पक्के नाले का निर्माण कार्य प्रगति पर पाया गया। स्थलीय जी0पी0एस0 फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैं:–

अन्य विवरणः–

- रानीघाट नाले एवं परमिया नाले (रामेश्वर घाट नाले से सम्बद्ध) में जैविक शोधन (बायोरेमिडियेशन) कार्य न किये जाने से अशोधित सीवेज सीधे गंगा नदी में निस्तारित होने के दृष्टिगत् नगर निगम, कानपुर नगर के विरूद्ध क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्रांक संख्या क्रमशः 1381/सा–126/24, दिनांक 02.02.2024 द्वारा माह जनवरी, 2024 हेतु रूपये 5,00,000/– एवं पत्रांक संख्या 1382/सा–126/24, दिनांक 02.02.2024 द्वारा माह नवम्बर, 2023 से माह जनवरी, 2024 तक की अवधि हेतु रूपये 15,00,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
- क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्रांक 832/सा0–112/23 दिनांक 05.10.2023, कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक 1229/एस0टी0–2023, दिनांक 26.12.2023 द्वारा नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम को गंगा नदी एवं पाण्डु नदी से सम्बद्ध अन्टैप्ड नालों में जैविक शोधन (बायोरेमिडियेशन) का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है, अग्रेतर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्रांक संख्या 1369/सा0–126/24, दिनांक 31.01.2024 द्वारा भी पुनः नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम को पत्र प्रेषित किया गया है, पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

(सौरभ हैरिस) 03/02/2024	(विकास यादव) 03.02.24	(फरेश कुमार) 03.02.24
जे0आर0एफ0	जे0आर0एफ0	सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) महोदय,

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :– 1351/सा-227/24

दिनांकः– 27/01/24

ई–मेल/समयबद्ध/मा0 एन0जी0टी0

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर।
2. नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम, कानपुर नगर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड–2, सिंचाई विभाग, कानपुर नगर।

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–341/2022 दीपक अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–341/2022 दीपक अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं:–

........"4. Thereafter, Kanpur Nagar Nigam has filed the response to the joint committee report. Perusal of the said response, reveals that much is desired in the direction of drainage, sewage treatment as also illegal encroachment.

5. A plea has been raised by the Counsel appearing for the Kanpur Nagar Nigam that the matter relating to the encroachment action needs to be taken by Kanpur Development Authority and Irrigation Department.

6. The report reveals that the flood plain zone of river Ganga in the area concerned has not been notified and full particulars relating to the drains flowing towards the aforesaid four ghats, their tapping and treatment of sewage from those drains have also not been disclosed.

7. The report does not reflect upon the extent of illegal encroachment which was the main grievance raised in this original application. In respect of Rani ghat, it is stated that the construction of drain of size 0.6m x 0.75m from Bari ghat to Rani ghat pumping station was in progress and targeted to be completed by 30.11.2023. Similarly, in respect of Rameshwar ghat, it is stated that construction of 45.00 m drain at Rameshwar ghat is under progress and will be completed before 30.11.2023. Completion date is over but Counsel appearing for Nagar Nigam does not have any instructions if the work has been completed as per schedule.

8. In the aforesaid background, the Counsel appearing for Kanpur Nagar Nigam has prayed for four weeks time to file a comprehensive report with all the relevant particulars.

11. Let the action taken report be filed on or before the next date of hearing.

12. List the matter on 13.02.2024.".............

उपर्युक्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–341/2022 दीपक अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में आख्या दाखिल की जानी है।

अतः महोदयों से अनुरोध है कि प्रश्नगत् प्रकरण में कृत कार्यवाही से 03 दिवसों में क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे नियत समयावधि में माननीय अधिकरण में अनुपालन आख्या ससमय दाखिल किया जाना सुनिश्चित हो सके।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(इं0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
2. सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. पर्यावरण अभियन्ता, कानपुर नगर निगम, कानपुर नगर।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज–3, कल्यानपुर, कानपुर नगर– 208017
ई–मेलः– rokanpur@uppcb.in फोन : 2510999

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :– 1381/सा0–126/24 दिनांकः– 02/02/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–कानपुर नगर क्षेत्र में स्थित रानीघाट नाले से अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित होने के दृष्टिगत् कार्यदायी विभाग नगर निगम, कानपुर नगर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के सप्ताहिक निरीक्षणों में रानीघाट नाले में माह जनवरी, 2024 में बायोरेमिडियेशन का कार्य बन्द पाया गया है तथा अद्यतन निरीक्षण दिनांक 30.01.2024 को रानीघाट नाले का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय रानीघाट नाले में डोजिंग प्लास्टिक टैंक स्थापित पाया गया, परन्तु उक्त टैंक में जैविक उपचार (बायोरेमिडियेशन) किये जाने हेतु कोई भी रसायन नहीं पाये गये, जिससे गंगा नदी की जल गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। (आख्या संलग्न)।

कार्यालय अभिलेखानुसार क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्रांक 832/सा0–112/23 दिनांक 05.10.2023 कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक 1229/एस0टी0–2023, दिनांक 26.12.2023 एवं द्वारा नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम को गंगा नदी एवं पाण्डु नदी से सम्बद्ध अन्टैप्ड नालों में जैविक शोधन (बायोरेमिडियेशन) का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है, अग्रेतर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्रांक संख्या 1369/सा0–126/24, दिनांक 31.01.2024 द्वारा भी पुनः नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम को पत्र प्रेषित किया गया है, पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

नदी के उद्देश्य से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा Writ petition OA-200/2014 में पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपण के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि नगर के नालों द्वारा जनित अशोधित जल गंगा नदी अथवा उसके सहायक नदियों में प्रवाहित हो रहा है तथा नदियों को प्रदूषित कर रहा हो तो 05 लाख प्रतिमाह प्रति नाले पर कार्यदायी विभाग पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति की जाये। अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा Writ petition OA-200/2014 दिनांक 07.08.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रूपये 5,00,000/– प्रतिमाह की दर से रानीघाट नाले से अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित होने के दृष्टिगत् कार्यदायी विभाग **नगर निगम, कानपुर नगर** पर कुल 01 माह (जनवरी, 2024) हेतु **रूपये 5,00,000 (पॉच लाख रूपये मात्र)** की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(इ0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदय को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (केन्द्रीय प्रयोगशाला), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज–3, कल्यानपुर, कानपुर नगर– 208017
ई–मेलः– rokanpur@uppcb.in फोन : 2510999

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :– 1382/सा–126/24 दिनांकः– 02.02.2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–कानपुर नगर क्षेत्र में स्थित परमिया नाले से अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित होने के दृष्टिगत् कार्यदायी विभाग नगर निगम, कानपुर नगर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में परमिया नाला आंशिक टैप्ड है। परमिया स्थित सीवेज पम्पिंग स्टेशन का ओवरफ्लो, गंगा बैराज स्थित वाटर ट्रीटमेण्ट प्लान्ट (डब्लू0टी0पी0) का बैक वाश एवं रामेश्वर घाट नाले का उत्प्रवाह मिश्रित होकर परमिया नाले में वहित होता है, जोकि अन्ततः ओवरफ्लो होकर गंगा नदी में निस्तारित होता है। इस कार्यालय के साप्ताहिक निरीक्षणों में **माह नवम्बर, 2023, दिसम्बर, 2023 एवं माह जनवरी, 2024** में परमिया नाले बायोरेमिडियेशन (जैविक शोधन) कार्य होता नहीं पाया गया है तथा अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित होता पाया गया है, जिससे गंगा नदी की जल गुणवत्ता पर कुप्रभाव प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है (आख्या संलग्न)।

कार्यालय अभिलेखानुसार क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्रांक 832/सा0–112/23 दिनांक 05.10.2023 कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक 1229/एस0टी0–2023, दिनांक 26.12.2023 एवं द्वारा नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम को गंगा नदी एवं पाण्डु नदी से सम्बद्ध अन्टैप्ड नालों में जैविक शोधन (बायोरेमिडियेशन) का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है, अग्रेतर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्रांक संख्या 1369/सा0–126/24, दिनांक 31.01.2024 द्वारा भी पुनः नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम को पत्र प्रेषित किया गया है, पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

नदी के उद्देश्य से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा Writ petition OA-200/2014 में पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपण के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि नगर के नालों द्वारा जनित अशोधित जल गंगा नदी अथवा उसके सहायक नदियों में प्रवाहित हो रहा है तथा नदियों को प्रदूषित कर रहा हो तो 05 लाख प्रतिमाह प्रति नाले पर कार्यदायी विभाग पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति की जाये। अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा Writ petition OA-200/2014 दिनांक 07.08.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रूपये 5,00,000/– प्रतिमाह की दर से **कुल 03 माह (माह नवम्बर, 2023, दिसम्बर, 2023 एवं माह जनवरी, 2024)** में परमिया नाले से अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित होने के दृष्टिगत् कार्यदायी विभाग **नगर निगम, कानपुर नगर** पर कुल **रूपये 15,00,000 (पन्द्रह लाख रूपये मात्र)** की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(इ0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदय को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (केन्द्रीय प्रयोगशाला), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 1369/सा०-126/24 दिनांकः- 31-01-24

माघ मेला–2024/अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल

सेवा में,

नगर आयुक्त महोदय,
नगर निगम,
कानपुर नगर।

विषयः–माघ मेला–2024 के दृष्टिगत् जनपद कानपुर नगर में गंगा नदी के तट पर स्थित रानीघाट नाले एवं परमिया नाले पर बायोरेमिडिएशन का कार्य प्रारम्भ न कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जैसा कि आप अवगत हैं कि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, लखनऊ के पत्रांक अर्द्धशा0प0सं0–1406(1)/81–7–2023–53(पर्या)/2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज में आयोजित होने वाले **"माघ मेला"** माह–जनवरी से मार्च, 2024 तक गंगा नदी के जल की अपेक्षित शुद्धता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है, के अनुपालन में सीवेज से सम्बन्धित नालों को टैप्ड/बायोरेमिडिएशन किया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 30.01.2024 को रानीघाट नाले एवं रामेश्वर घाट नाले (जोकि परमिया नाले से सम्बद्ध है) का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय रानीघाट नाले में डोजिंग प्लास्टिक टैंक स्थापित पाया गया, परन्तु उक्त टैंक में जैविक उपचार किये जाने हेतु कोई भी रसायन नहीं पाये गये। साथ ही रामेश्वर घाट नाले से सम्बद्ध परमिया नाले पर जैविक उपचार किये जाने हेतु व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के समय लिये गये जी0पी0एस0 फोटोग्राफ्स क्रमशः हैं।

रानीघाट नाला	परमिया नाला
	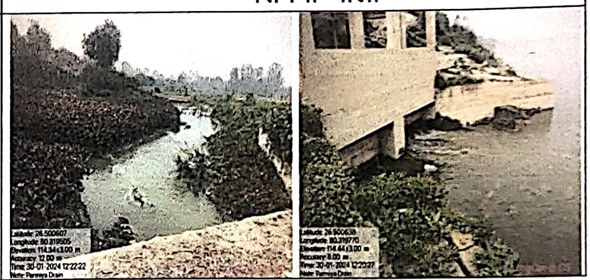

यहाँ सूच्य है कि कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक 1229/एस0टी0–2023, दिनांक 26.12.2023 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 832/सा0–112/23 दिनांक 05.10.2023 द्वारा गंगा नदी एवं पाण्डु नदी से सम्बद्ध अन्टैप्ड नालों में जैविक शोधन (बायोरेमिडियेशन) का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किये जाने हेतु नोटिस पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु अद्यतन तक स्थिति यथावत् है, पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

जैसा कि आप अवगत हैं कि माघ मेला–2024 का मुख्य स्नान पर्व "मौनी अमावस्या" दिनांक 09.02.2024 को नियत है तथा रोस्टर अवधि दिनांक 06.02.2024 से प्रारम्भ है।

अतः माघ मेला–2024 के आलोक में महोदय से पुनः अनुरोध है कि रानीघाट नाले एवं रामेश्वर घाट नाले से सम्बद्ध परमिया नाले पर जैविक उपचार (बायोरेमिडियेशन कार्य) तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे माघ मेला के दौरान गंगा नदी की जल की अविरलता, निर्मलता एवं अपेक्षित शुद्धता सुनिश्चित हो सके। प्रश्नगत् प्रकरण माघ मेले से सम्बन्धित है। अतः महोदय का व्यक्तिगत् ध्यान आपेक्षित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(इं0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, कानपुर नगर।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज–3, कल्याणपुर, कानपुर नगर– 208017
ई–मेलः– rokanpur@uppcb.in फोन : 2510999

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर

पत्रांक–1229/एस0टी0–2023 दिनांक–26,दिसम्बर, 2023

महत्वपूर्ण/माघ मेला–2024

प्रेषकः–

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
कानपुर नगर निगम,
कानपुर नगर।

विषयः–माघ मेला–2024 के दृष्टिगत् जनपद कानपुर नगर में गंगा नदी एवं पाण्डु नदी में सीधे मिलने वाले सीवेज नालों पर बायोरेमिडिएशन का कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, लखनऊ के पत्रांक अर्द्धशा0प0सं0–1406(1)/81–7–2023–53(पर्या)/2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज में आयोजित होने वाले **"माघ मेला"** माह–जनवरी से मार्च, 2024 तक गंगा नदी के जल की अपेक्षित शुद्धता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है, के अनुपालन में सीवेज से सम्बन्धित नालों को टैप्ड/बायोरेमिडिएशन किया जाना नितान्त आवश्यक है।

जैसा कि आप अवगत हैं कि गंगा नदी में सीधे मिलने वाले 07 सीवेज नाले क्रमशः *"रानीघाट नाला, परमिया नाला, गोलाघाट नाला, सत्तीचौरा नाला, डबका नाला, मदारपुर नाला एवं किशनपुर नाला"* तथा गंगा नदी की सहायक पाण्डु नदी में सीधे मिलने वाले 05 सीवेज नाले क्रमशः *"गन्दा नाला, हलवा खाण्डा नाला, अर्रा नाला, सागरपुरी नाला एवं पिपौरी नाला"* पर वर्षा ऋतु समाप्ति के उपरान्त भी अद्यतन तक जैविक उपचार (बायोरेमिडिएशन) का कार्य आपके विभाग द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है, जोकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ0ए0 संख्या 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में समय–समय पर पारित आदेशों के अनुरूप नहीं है।

अतः अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, लखनऊ के पत्रांक अर्द्धशा0प0सं0–1406(1)/81–7–2023–53(पर्या)/2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 के अनुपालन हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि गंगा नदी के उपर्युक्त 07 सीवेज अनटैप्ड नाले एवं पाण्डु नदी के 05 सीवेज अनटैप्ड नालों में माघ मेला–2024 अवधि से पूर्व बायोरेमिडिएशन का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे गंगा नदी की जल की अविरलता, निर्मलता एवं अपेक्षित शुद्धता सुनिश्चित हो सके।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(विशाख जी0)
जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

संख्या सम दिनांकित:

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

Scanned with OKEN Scanner

51

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० Ref. No H06812/C-2/ग्रा०-6/2024 दिनॉक Date 10-2-2024

पंजीकृत

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
कानपुर नगर।

विषयः—कानपुर नगर क्षेत्र में स्थित रानीघाट नाले से अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित होने के दृष्टिगत कार्यदायी विभाग नगर निगम, कानपुर नगर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 02.02.2024 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार कानपुर नगर क्षेत्र में स्थित रानीघाट नाले के माह जनवरी–2024 में साप्ताहिक निरीक्षणों में बायोरेमिडियेशन का कार्य बन्द पाया गया तथा अद्यतन निरीक्षण दिनांक 30.01.2024 को रानीघाट नाले के निरीक्षण के समय रानीघाट नाले में डोजिंग हेतु प्लास्टिक टैंक स्थापित पाया गया, परन्तु उक्त टैंक में जैविक उपचार (बायोरेमिडियेशन) किये जाने हेतु कोई भी रसायन नहीं पाये गये, जिससे गंगा नदी की जल गुणवत्ता पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 200/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः—

"Whenrever the work has not commenced, it is necessary that no untreated sewage is discharged into the River Ganga. Bioremediation and phytoremediation or an other remediation measures may start as an interim measure positively from 01.11.2019, failing which the State may be liable to pay compensation of Rs. 5 Lakhs per month per drain to be deposited with the CPCB. This however, is not to be taken as an excuse to delay the installation of STPs, For delay of the work, the Chief Secretary must identify the officers responsible and assign specific responsibilities, Wherever there are violations, adverse entries in the ACRs must be made in respect of such identified officers. For delay in setting up of STPs and sewerage network beyond prescribed timelines, State may be liable to pay Rs. 10 Lakhs per month per STP and its network. It will be open to the state to recover the said amount from the erring officers/contractors."

रानीघाट नाले से अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किया जाना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों एवं पर्यावरण अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 02.02.2024 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No.-200/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रू0 5,00,000/– प्रतिमाह की दर से माह जनवरी–2024 के दौरान रानीघाट नाले से अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किये जाने/बायोरेमिडियेशन कार्य न किये जाने के कारण कार्यदायी विभाग पर पर्यावरणीय क्षतिपूति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त नगर निगम, कानपुर के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :—

1. यह कि क्यों न **नगर निगम, कानपुर नगर** पर 01 माह हेतु रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार नगर निगम, कानपुर नगर के विरूद्ध 01 माह हेतु रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्था एवं जिम्मेदार पदाधिकारी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

...2...

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति नगर निगम, कानपुर नगर को प्राप्त कराते हुए पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में नगर निगम, कानपुर नगर का अद्यतन निरीक्षण कर संस्तुति आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

Scanned with OKEN Scanner

53

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No H06813/C-2/सा0-6/2024

दिनाँक / Date 10-2-2024

पंजीकृत

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
कानपुर नगर।

विषयः–कानपुर नगर क्षेत्र में स्थित परमिया नाले से अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित होने के दृष्टिगत कार्यदायी विभाग नगर निगम, कानपुर नगर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 02.02.2024 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार कानपुर नगर क्षेत्र में स्थित परमिया नाला आंशिक टैप्ड है। परमिया स्थित सीवेज पम्पिंग स्टेशन का ओवरफ्लो, गंगा बैराज स्थित वाटर ट्रीटमेण्ट प्लान्ट (डब्लू0टी0पी0) का बैक वाश एवं रामेश्वर घाट नाले का उत्प्रवाह मिश्रित होकर परमिया नाले में वाहित होता है, जोकि अन्ततः ओवरफ्लो होकर गंगा नदी में निस्तारित होता है। क्षेत्रीय कार्यालय के साप्ताहिक निरीक्षणों में माह नवम्बर–2023, दिसम्बर–2023 एवं जनवरी–2024 में परमिया नाले में बायोरेमिडियेशन (जैविक शोधन) का कार्य होता नहीं पाया तथा अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित होता पाया गया, जिससे गंगा नदी की जल गुणवत्ता पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 200/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

"Whenrever the work has not commenced, it is necessary that no untreated sewage is discharged into the River Ganga. Bioremediation and phytoremediation or an other remediation measures may start as an interim measure positively from 01.11.2019, failing which the State may be liable to pay compensation of Rs. 5 Lakhs per month per drain to be deposited with the CPCB. This however, is not to be taken as an excuse to delay the installation of STPs, For delay of the work, the Chief Secretary must identify the officers responsible and assign specific responsibilities, Wherever there are violations, adverse entries in the ACRs must be made in respect of such identified officers. For delay in setting up of STPs and sewerage network beyond prescribed timelines, State may be liable to pay Rs. 10 Lakhs per month per STP and its network. It will be open to the state to recover the said amount from the erring officers/contractors."

परमिया नाले से अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किया जाना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों एवं पर्यावरण अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 02.02.2024 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No.-200/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रू0 5,00,000/– प्रतिमाह की दर से माह नवम्बर–2023, दिसम्बर–2023 एवं जनवरी–2024 के दौरान परमिया नाले से अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किये जाने/बायोरेमिडियेशन कार्य न किये जाने के कारण कार्यदायी विभाग नगर निगम, कानपुर नगर पर पर्यावरणीय क्षतिपूति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त नगर निगम, कानपुर के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न **नगर निगम, कानपुर नगर** पर 03 माह हेतु रू0 15,00,000/– (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार नगर निगम, कानपुर नगर के विरूद्ध 03 माह हेतु रू0 15,00,000/– (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्था एवं जिम्मेदार पदाधिकारी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

...2...

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति नगर निगम, कानपुर नगर को प्राप्त कराते हुए पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में नगर निगम, कानपुर नगर का अद्यतन निरीक्षण कर संस्तुति आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

Scanned with OKEN Scanner